

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां (राज.)

क्रमांक: स्था./प.1/स्था-8/1997/1205

दिनांक: 17.07.2021

**:: आदेश ::**

राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 (यथा संशोधित-2019) के नियम 31 के प्रावधान अनुसार बारां जिला न्याय क्षेत्र में पदस्थापित अग्रलिखित आशुलिपिकगण ग्रेड-III को उनके नाम के सामने अंकित पद पर आदेश की तिथि से स्थायी (कन्फर्म) किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	न्यायालय का नाम	पद जिस पर आदेश की तिथि से स्थायी किया गया है।
1	श्री महेश कुमार सोनी	A.D.J. CHHABARA	आशुलिपिक ग्रेड-III
2	सुश्री समीक्षा सोनी	AD.J. NO.1 BARAN	आशुलिपिक ग्रेड-III
3	सुश्री हिमानी समाधिया	CJ & JM BARAN	आशुलिपिक ग्रेड-III
4	श्री सुखवीर लोधी	ACJM MANGROL	आशुलिपिक ग्रेड-III
5	सुश्री शाईस्ता खान	ACJM ATRU	आशुलिपिक ग्रेड-III

समस्त पीटासीन को निर्देश है कि उपरोक्त कर्मचारीगण की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि आवश्यक रूप से की जावे।

—sd—

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बारां(राज.)

क्रमांक:

1658

दिनांक: 17.07.21

प्रतिलिपि निम्नंकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा जिला न्यायालय, बारां।
- 2- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-1 बारां/ छबड़ा
- 3- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति० मुख्य न्यायिक मजि० अटरू/ मांगरोल
- 4- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि० बारां।
- 5- सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर शाखा इस निर्देश के साथ की आदेश को जिला न्यायालय, बारां की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली कर्मचारीगण

—sd—

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
बारां(राज.)